आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ. 7(4) प्रवेश नीति (सामान्य)/अकाद/आकाशि/2024-15787

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– प्रवेश नीति 2024–25 के बिन्दु संख्या 3.2.1 में शिथिलता प्रदान करने के क्रम में।
सन्दर्भः–शासन उप सचिव प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर का पत्रांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप–3/2024–03696 राजकाज नं.12304456 दिनांक 09.12.2024

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जिन राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध/सेमेस्टर–प्रथम) में एक वर्ग में न्यूनतम अनुमत **विद्यार्थियों की संख्या से कम आवेदन प्राप्त हुये है अथवा न्यूनतम से कम विद्यार्थियों ने फीस जमा करवाई हो, ऐसे समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश नीति सत्र 2024–25 के बिन्दु संख्या 3.2.1 में शिथिलता प्रदान करते हुए न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 05 किया जाता है** तथा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन भरने वाले प्रवेशार्थियों से ऑफलाईन प्रवेश **शुल्क दिनांक 16 दिसम्बर 2024** तक जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **जिन विश्वविद्यालयों में परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि पूर्ण हो गई हैं उनसे संबंधित महाविद्यालयों पर यह लागू नहीं होगा।**

फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्र/इलेक्ट्रोनिक मीडिया /दूरभाष/सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

ऑफलाईन प्रवेश शुल्क जमा करवाने वाले विद्यार्थियों का **शुल्क का डाटा 20 दिसम्बर 2024 तक** ऑनलाईन इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करें।

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 05 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2024–25 के लिए स्थगित रहेगा तथा 05 से कम प्रवेशार्थी रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठयक्रम में या उसी पाठयक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हों तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अन्यथा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के प्रो. विवेक मण्डोत (नोडल अधिकारी–ऑनलाईन एडमिशन)/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में दूरभाष नं0 (0141–2706106) या ई–मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्व प्रक्रिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, अविलम्ब सम्पन्न करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, महोदय उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।.
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव प्रथम उच्च शिक्षा (ग्रुप–3), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन प्रवेश, (आई0टी0शाखा) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.12.11 19:36:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प.6(3)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2024–03696 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
जयपुर।

विषयः– राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध / सेमेस्टर–प्रथम) में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति 2024–25 के बिन्दु संख्या 3.2.1 में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक एफ7(4)(सामान्य) / अकाद / आकाशि / 2024–15787

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि प्रस्तावानुसार छात्रहित में राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध / सेमेस्टर–प्रथम) में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति 2024–25 के बिन्दु संख्या 3.2.1 में शिथिलता प्रदान किया जाकर नियमित पाठ्यक्रमों एवं एस.एफ.एस. के तहत संचालित पाठ्यक्रमो में न्यनूतम प्रवेशित विद्यार्थियो की संख्या 20 के स्थान पर 05 किये जाने एवं ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रवेश आवेदन पत्र भरने वाले प्रवेशार्थियों से ऑफलाईन प्रवेश शुल्क जमा करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 05 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2024–25 के लिए स्थगित रहेगा तथा 05 से कम प्रविष्ट प्रवेशार्थी रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठयक्रम में या उसी पाठयक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हों तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अन्यथा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करावें।

जिन विश्वविद्यालयों में परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि पूर्ण हो गई हैं उनसे संबंधित महाविद्यालयों पर यह लागू नहीं होगा।

आयुक्तालय इस संबंध में समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(हरिताभ कुमार आदित्य)
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मान. उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

शासन उप सचिव प्रथम

Document certified by HARITABH KUMAR ADITYA <HARITABHADITYA@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date :09-12-2024 01:59:11